प्रेस विज्ञप्ति

20/12/2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने जनप्रिय टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में फेमा उल्लंघनों के लिए प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06.11.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत जनप्रिय टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के इन उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध चल रही जांच की समाप्ति हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा "अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)" जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

इस मामले में, प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर, फेमा, 1999 के निम्नलिखित उल्लंघनों के लिए ईडी द्वारा जांच की गई, जिनके लिए आरबीआई द्वारा प्रशमन (कंपाउंडिंग) किया गया है:-

1. फेमा 20 की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अंतर्गत भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को शेयर जारी करने के लिए विदेशी प्रेषणों की प्राप्ति की रिपोर्टिंग में देरी, जिसकी राशि रु. 64.66 करोड़ है।
2. फेमा 20 की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अंतर्गत भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को शेयर जारी करने के पश्चात एफसीजीपीआर (FCGPR) फॉर्म विलंब से दाखिल करना, जिसकी राशि रु. 13.20 करोड़ है।
3. ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 45 दिनांक 15 मार्च, 2011 के साथ पठित और फेमा 20 की अनुसूची 1 के पैरा 9(2) के अंतर्गत, सात वित्तीय वर्षों के लिए 'विदेशी दायित्वों एवं परिसंपत्तियों पर वार्षिक विवरणी' दाखिल करने में विलंब।

मामला जांचाधीन था, जब कंपनी ने अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत फेमा के अंतर्गत उक्त उल्लंघनों के प्रशमन (कंपाउंडिंग) हेतु आरबीआई के समक्ष एक आवेदन दायर किया। आरबीआई के संदर्भ पर, ईडी ने अधिनियम की वास्तविक भावना के अनुरूप ऐसे प्रशमन (कंपाउंडिंग) के लिए अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) जारी की। तदनुसार, ईडी द्वारा जारी अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन) के आधार पर, आरबीआई ने दिनांकित 06.11.2025 को प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश के माध्यम से एकमुश्त रु. 1,68,160/- के भुगतान पर उक्त उल्लंघनों का प्रशमन (कंपाउंडिंग) किया।